



बिहार सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना—800 014
संख्या व.सं./40/2022-829

प्रेषक,

सी0पी0 खण्डूजा, भा०व०से०,
आपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक—13/09/2022

विषय — अररिया जिलान्तर्गत अररिया—ठाकुरगंज नई B.G. रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 8.243 हेठो वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया—ठाकुरगंज नई B.G. रेलवे लाईन परियोजना निर्माण कार्य के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 8.243 हेठो वन भूमि अपयोजन हेतु उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण), पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, कटिहार का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. परियोजना निर्माण अन्तर्गत अपयोजित होने वाली राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या CF-17025/67-2113-R दिनांक 22.07.1967 द्वारा “सुरक्षित वन” के रूप में अधिसूचित है। प्रस्तावित परियोजना निर्माण के क्रम में 8.243 हेठो वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.3 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण में प्रभावित होने वाले 632 वृक्षों में से प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 484 वृक्षों को परियोजना निर्माण के क्रम में पातन किया जायेगा एवं 148 वृक्षों को परियोजना निर्माण के क्रम में पुर्नस्थापित किया जायेगा।

4. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ सलग्न किया गया है जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

5. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र Stage-I पत्र में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन प्रतिवेदन के साथ भेजा जायेगा।

6. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 8.243 हेठो अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 16.50 हेठो अवकृष्ट वन भूमि को अररिया वन प्रमंडल अन्तर्गत अररिया वन प्रक्षेत्र के रहिकपुर (PF) को चिन्हित कर दस वर्षीय वृक्षारोपण प्राक्कलन तैयार किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 8.243 हेठो वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रु० 9.57780 लाख प्रति हेठो के दर से रु० 78,94,981/- (रूपये अठतहर लाख चौरानवें हजार नौ सौ इकासी) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 8.243 हेठो वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये अररिया वन प्रमंडलन्तर्गत 16.50 हेठो अवकृष्ट वन भूमि सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रु० 30,78,062/- (रूपये तीस लाख अठतहर हजार बासठ) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है, के आलोक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1272/- रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सी०पी० खण्डूजा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक— व.सं./40/2022— 829 दिनांक— 13/09/2022

प्रतिलिपि — उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण), पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, कटिहार / वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.09.22.

(सी०पी० खण्डूजा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

अररिया जिलान्तर्गत अररिया-ठाकुरगंज नई B.G. रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु वन
(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 8.243 है। वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट-

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियों रेफेरेन्स मैप	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-II	संलग्न।
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
7	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
10	वन संरक्षक, पूर्णियाँ द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-III	संलग्न।
11	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-IV	संलग्न।

13.09.22.

(सी०पी० खण्डूजा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।